International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 23-06-2026, Accepted: 23-07-2026, Published: 07-08-2026
Volume 12, Issue 3, 2026, Page No. 74-76

हिंदी भाषा: कल, आज और परसों — उद्‌भव, संघर्ष–यात्रा और एआई युग में वैश्विक धरातल

ब्लेस्सनराजू
शोधार्थी, हिंदी विभाग, केरल विश्वविद्यालय, केरल, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijhr.2026.12.3.12209

सारांश
हिंदी भाषा की विकास–यात्रा केवल शब्दों या बोलियों के बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना की सजीव अभिव्यक्ति है। प्राचीन वैदिक संस्कृत से होकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई हिंदी विविध लोक–बोलियों के अनूठे मेल से समृद्ध हुई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में राष्ट्र की अस्मिता बनी इस भाषा को संविधान में संघ की राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ, यद्यपि औपनिवेशिक मानसिकता और राजनीतिक विरोधों के कारण इसे कई भाषाई संघर्ष झेलने पड़े। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरमिटिया मजदूरों और तीन करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है। वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 'भाषिणी' और 'भारतजेन' जैसे अत्याधुनिक डिजिटल मॉडलों के माध्यम से हिंदी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के साथ–साथ भविष्य की एआई दुनिया में एक अग्रणी भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित हो रही है।

मूल शब्द: हिंदी भाषा, आर्य भाषा परंपरा, जनभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बहुभाषिकता, स्वतंत्रता संग्राम, प्रवासी साहित्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हिंदी।

मानव सभ्यता के क्रमिक विकास और उसकी सामूहिक चेतना को आकार देने में भाषा की भूमिका हमेशा आधारभूत रही है। भाषा सिर्फ विचारों के प्रकटीकरण का कोई साधारण ज़रिया नहीं है, बल्कि वह किसी समाज के अनभवों, दर्शन और सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने वाली एक जीवित धारा है। जब हम भाषा–विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं, तो भाषा की परिभाषा अत्यंत वैज्ञानिक और व्यापक रूप में सामने आती है। प्रख्यात भाषाशास्त्री डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी रचना में भाषा के मूलभूत स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है: "भाषा, उच्चारण–अवयवों से उच्चरित, यादृच्छिक (Arbitrary) ध्वनि–प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज–विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं"1। इस वैचारिक कसौटी पर यदि हिंदी का अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी की वर्तमान सरलता, मिठास और लचक किसी एक दिन की देन नहीं है। इसके पीछे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा–परिवार की हज़ारों वर्षों लंबी निरंतरता और विकास की एक असाधारण कहानी छिपी है।

हिंदी के ऐतिहासिक सफर की जड़ें प्राचीन आर्य भाषाओं में गहराई तक समाई हुई हैं। लगभग पंद्रह सौ ईसा पूर्व के आसपास जब भारतीय भूभाग पर वैदिक संस्कृत का प्रचलन था, तब से इस भाषाई नदी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। लौकिक संस्कृत के कठोर और संश्लेषणात्मक व्याकरणिक ढाँचे ने जहाँ विद्वानों और उच्च साहित्यिक परंपरा को संभाला, वहीं जनसामान्य की बोलचाल में भाषा स्वतः ही सरल होने लगी। इसी स्वाभाविक परिवर्तन से मध्यकालीन आर्य भाषाओं का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध के समय में पालि भाषा जनता के विचारों और बौद्ध दर्शन की मुख्य संवाहक बनी, जिसके बाद प्राकृत भाषाओं का दौर आया। प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में जनसाधारण की भावनाएँ मुखरित हुईं और फिर इसके रूपांतरण से अपभ्रंश का जन्म हुआ। अपभ्रंश ही वह कड़ी है जो प्राचीन संस्कृत–प्राकृत परंपरा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से जोड़ती है। शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंशों की कोख से हिंदी की विभिन्न बोलियों—जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, बुंदेली और खड़ी बोली—का विकास हुआ। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस और ब्रज में सूरदास का पद–साहित्य हिंदी के भक्ति काल का स्वर्ण युग बन गया। कालांतर में दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली ने इन सभी लोक–रंगों को समेटते हुए आधुनिक मानक हिंदी का स्वरूप धारण कर लिया।

जैसे–जैसे हिंदी लोकजीवन से निकलकर आधुनिक प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रवेश करने लगी, वैसे–वैसे इसके संवैधानिक और व्यावहारिक दायित्व भी बदलते गए। किसी भी स्वाधीन देश में सरकारी काम–काज की भाषा और पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा के बीच एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण अंतर होता है। इस भेद को बहुत ही सुंदरता से रेखांकित करते हुए डॉ. मीरा दीक्षित लिखती हैं: "जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राज्य भाषा या राजभाषा कहते हैं। जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न–भिन्न भाषाभाषियों के पारस्परिक विचार–विनिमय का साधन बनती हुयी समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बाँधती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं"2। यह अवधारणा यह समझने में मदद करती है कि राजभाषा जहाँ मुख्य रूप से नियमों, कानूनों और दफ्तरों का कार्य संभालती है, वहीं राष्ट्रभाषा देश के प्रत्येक नागरिक के भावनात्मक जुड़ाव और आपसी एकता का प्रतीक होती है।

हिंदी की यह अद्‌भुत विशेषता रही है कि वह सरकारी फाइलों में जगह पाने से बहुत पहले ही भारत के आम लोगों के दिलों में जनभाषा के रूप में रच–बस चुकी थी। हिंदी के इस दोहरे रूप यानी जनभाषा और राजभाषा के स्वाभाविक प्रसार पर प्रकाश डालते हुए प्रख्यात चिंतक रवींद्र श्रीवास्तव का मत है: "राष्ट्रीय सन्दर्भों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी के दो निश्चित भाषा रूप उभरकर सामने आए हैं। जनभाषा और राजभाषा। जनभाषा रूप में हिन्दी, अहिन्दी क्षेत्रों में रेलवे प्लेटफार्म, अन्तर्राज्जीय बस अड्डे, सांस्कृतिक स्थल जैसे प्रमुख मन्दिर या ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों में प्रयुक्त होती देखी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी' । राष्ट्र को राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा को राजभाषा की मान्यता मिलती है"3 । भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ने कभी भी दूसरी प्रांतीय भाषाओं को दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने भारत की समृद्ध बहुभाषिकता को सहज

स्वीकार किया। भारतीय चेतना की इस भाषा–सहित्ष्णुता के संबंध में रवींद्र श्रीवास्तव आगे लिखते हैं: "भारतीय समाज भाषा–वैविध्य को बिना मिटाये हुए भाषा की एकता पर बल देता रहा है। भाषा सहिष्णुता उसकी जातीय एवं सांस्कृतिक चेतना की आंतरिक शक्ति के रूप में स्थित रही है। हिन्दी भाषा शिक्षण का सही सन्दर्भ यही है कि हम पहले भारतीय समाज की बहुभाषिकता की प्रकृति को ठीक से समझें और तदनुरूप विभिन्न भाषा प्रयोजनों के सन्दर्भ में हिन्दी के अन्य भाषाओं के साथ संबंधों की सही जानकारी रखते हुए भाषा–शिक्षण को सार्थक बनाएँ"4

हालाँकि, हिंदी की यह यात्रा कभी भी आसान नहीं रही। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अदालतों और दफ्तरों की भाषा तय की जा रही थी, तब हिंदी को भारी पूर्वाग्रहों और विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय की भाषाई राजनीति को स्पष्ट करते हुए डॉ. भोलानाथ तिवारी अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं: "सर सैयद अहमद खाँ उर्दू के प्रबल पक्षधर के रूप में उभर कर सामने आए। हिंदी को वे भी उर्दू की तुलना में 'गँवारी बोली' कहते थे। कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण वे हिंदी के घोर विरोधी थे"5 । इस प्रकार के तीखे तंजों और औपनिवेशिक उपेक्षा के बावजूद हिंदी भाषियों और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे मनीषियों ने अपनी भाषा के परिमार्जन और विकास की लौ को लगातार जलाए रखा।

बीसवीं सदी की शुरुआत में जब देश स्वतंत्रता आंदोलन के मुहाने पर खड़ा था, तब यह साफ हो गया कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ही सबसे उपयुक्त माध्यम बन सकती है। महात्मा गांधी सहित गैर–हिंदी भाषी राज्यों के कई बड़े नेताओं ने हिंदी के इस राष्ट्रव्यापी सामर्थ्य को पहचाना। इस ऐतिहासिक क्षण का विवरण देते हुए कैलाश चंद्र भाटिया लिखते हैं कि सन् १९१८ में इंदौर के आठवें हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, "मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं"6। गांधी जी का मानना था कि जो भाषा भारत के मजदूर, किसान, व्यापारी और आम जन आसानी से बोल और समझ सकते हैं, वही आज़ादी की लड़ाई की मुख्य आवाज़ बनेगी।

आज़ादी मिलने के बाद यह उम्मीद थी कि हिंदी स्वाभाविक रूप से देश की पूर्ण राष्ट्रभाषा का पद संभालेगी, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक स्वार्थों और क्षेत्रीय संकीर्णताओं ने इसके मार्ग में कई रोड़े अटकाए। आज़ादी के बाद के भाषाई संकट और अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व पर चिंता जताते हुए डॉ. बी. एल. धनदे लिखते हैं: "स्वतंत्र भारत में राम मनोहर लोहिया ने 'अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ' के आंदोलन का सूत्रपात किया था। अनेक महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्ष में अपना मत दिया था। लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों द्वारा हिंदी के विरोध के कारण हिन्दी आज तक अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। हिंदी को सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी से है। अंग्रेजी आजादी के बाद से लेकर अब तक अपना पैर पसार चुकी है। उसने भारतीयों को अपनी जकड़ में ले लिया है। आज हम अंग्रेजी मानसिकता के इतने गुलाम हो गए कि हिंदी में बोलने वाले को असभ्य करार देते है"7 । इतना ही नहीं, इस भाषाई दरार का फायदा उठाकर देश की अखंडता को कमजोर करने की अंतरराष्ट्रीय साजिशें भी रची गईं। प्रसिद्ध विद्वान डॉ. रामविलास शर्मा इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए लिखते हैं: "यह बात अब बहुत साफ़ है कि जो लोग हिन्दी जाति का अस्तित्व अस्वीकार करते हैं और हिन्दी भाषा की एकता खंडित करना चाहते हैं, वे कहीं न कहीं भारत की राष्ट्रीय एकता का भी विरोध करते हैं। कारण यह है कि इस राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का माध्यम हिन्दी है। जब तमिलनाडु में हिन्दी–विरोधी और अलगाववादी आन्दोलन चला, तब उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने में अमरीकी साम्राज्यवादी सबसे आगे थे"9 ।

तमाम राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं के बावजूद हिंदी का फैलाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में भारत से बाहर गए गिरमिटिया मजदूरों और प्रवासियों ने सात समुद्र पार भी हिंदी की जोत जलाए रखी। अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिंदी के इस फैलाव की चर्चा करते हुए रवींद्र श्रीवास्तव अपनी पुस्तक में लिखते हैं: "जनपदीय और राष्ट्रीय सन्दर्भ के अतिरिक्त हिन्दी–व्यवहार का एक तीसरा सन्दर्भ भी है जिसे हम उसका अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ कह सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के कई रंग और कई पक्ष हैं। मारिशस, फीजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में हिन्दी का व्यापक प्रयोग है। इन देशों के हिन्दी प्रेमी इस भाषा को केवल भाषा के रूप में व्यवहार में नहीं लाते अपितु उसे वे अपनी संस्कृति का एक अंग भी समझते हैं"9। आज दुनिया भर के विशाल महाद्वीपों में हिंदी का परचम लहरा रहा है। इसके आँकड़ों और वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करते हुए डॉ. ऋतु वर्मा लिखती हैं: "हिन्दी को वैश्विक संदर्भ प्रदान करने में विश्वभर में फैले हुए तीन करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीयों का विशेष प्रदेय है। अब हिन्दी विश्व के सभी महाद्वीपों तथा राष्ट्रों, जिनकी जनसंख्या एक सौ चालीस से भी अधिक है, में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। इस समय वह विश्व की तीन सबसे बड़ी भाषाओं में से है। वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर मंदारिन (चीनी) के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है, जबकि वह जिन राष्ट्रों में प्रयुक्त हो रही है, उनकी संख्या बल की दृष्टि से अंग्रेजी के बाद दूसरे क्रमांक पर है"10 ।

अब जब हम इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में खड़े हैं, तो हिंदी भाषा का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी रूप 'आज और परसों' की दहलीज पर दिखाई दे रहा है। आधुनिक तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने हिंदी को कागज़ और कलम की सीमाओं से निकालकर डेटा और एल्गोरिदम के संसार में स्थापित कर दिया है। सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और विकलांग व्यक्तियों तक हिंदी सामग्री पहुँचाने में एआई की भूमिका बताते हुए आशुतोष कुमार शुक्ल और किरण अय्यर लिखते हैं: "एआई के द्वारा संरक्षण योग्य पुराने ग्रन्थ, पुस्तक अभिलेख और पाण्डुलिपियों को डिजिटलीकरण के द्वारा संरक्षित करके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने में सहायता मिल रही है। डिजिटल सामग्री सन्दर्भ के लिए सुलभ होती है। एआई संचालित टेक्स्ट–टू–स्पीच तथा स्पीच–टू–टेक्स्ट उपकरण के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को भी हिन्दी सामग्री सुलभ करायी जा सकती है। एआई के द्वारा संगठनों के लिए डेटा एकत्रित करने, विचारशीलता का समर्थन करने और निर्णय लेने में प्रणाली की सहायता करता है"11 ।

वर्तमान समय में हिंदी भाषा केवल साहित्य या दैनिक बातचीत तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ खड़ी हुई है। भारत सरकार के ऐतिहासिक 'इंडिया एआई मिशन' के तहत 'नंदा' और 'भारतजेन' (BharatGen) जैसे संप्रभु एआई मॉडल विशेष रूप से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की बारीकियों, संस्कृतियों और व्याकरण को समझने के लिए बनाए गए हैं। गूगल और ओपनएआई जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों ने भी अपने उन्नत मॉडल में हिंदी के लिए विशेष 'मल्टी–टोकन' सपोर्ट जोड़ा है, जिससे हिंदी प्रोसेसिंग अत्यंत तेज़ हो गई है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत विकसित 'भाषिणी' प्लेटफॉर्म ने रियल–टाइम अनुवाद, वाक्–पहचान और टेक्स्ट–टू–स्पीच के ज़रिए भाषा की बंदिशों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। डिजिटल बाज़ार में आज ई–कॉमर्स कंपनियों से लेकर वॉयस

सर्च तक हर जगह हिंदी का वर्चस्व सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी अपने दैनिक समाचारों और आधिकारिक सोशल मीडिया संचार में हिंदी का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। संस्कृत के वैदिक मंत्रों से शुरू हुआ यह भाषाई सफर, मध्यकाल के जुलाहों और संतों की बानियों से गुजरता हुआ, आज सुपरकंप्यूटरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चिप्स तक आ पहुँचा है। यह प्रगति इस बात का अटूट प्रमाण है कि हिंदी केवल इतिहास का पन्ना ('कल') नहीं है, बल्कि वह आधुनिक डिजिटल युग की धड़कन ('आज') और भविष्य की तकनीकी दुनिया ('परसों') का एक अमिट व समर्थ स्तंभ बन चुकी है ।

सन्दर्भ

1. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताबमहल प्रकाशन, इलाहाबाद २०१३, पृष्ठ संख्या ४
2. भाषा–विज्ञान के सिद्धांत, डॉ मीरा दीक्षित, सुनीत प्रकाशन, इलाहाबाद २०१२, पृष्ठ संख्या २४
3. भाषाई अस्मिता और हिंदी, रवींद्र श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली २०१६, पृष्ठ संख्या ५६
4. भाषाई अस्मिता और हिंदी, रवींद्र श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली २०१६, पृष्ठ संख्या ८४।
5. मानक हिंदी का स्वरूप, भोलानाथ तिवारी, प्रमत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या १८७
6. हिंदी भाषा : विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया,प्रभात प्रकाशन,नई दिल्ली २००६, पृष्ठ संख्या १४३
7. राष्ट्रभाषा हिंदी, डॉ बी एल धनदे, राजस्थान रोज़गार सेंटर, बाड़मेर २०२०, पृष्ठ संख्या१४
8. ऐतिहासिक भाषाविज्ञान और हिन्दी भाषा,डॉ. रामविलास शर्मा,सम्पादक डॉ. राजमल बोरा,राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली २००१, पृष्ठ संख्या ६६
9. भाषाई अस्मिता और हिंदी, रवींद्र श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली २०१६, पृष्ठ संख्या ५७
10. हिन्दी भाषा के अंतरराष्ट्रीय विकास में प्रवासी हिन्दी साहित्य का योगदान, डॉ. ऋतु वर्मा, एस. जी. एस.एच प्रकाशन , पृष्ठ संख्या १२८
11. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, आशुतोष कुमार शुक्ल, किरण अय्यर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली २०२५, पृष्ठ संख्या१६